न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–05/2022 धारा–144 दं0प्र0स0

उदय शंकर प्रसाद केशरी –बनाम– शकुन्तला देवी वगै0

तारीख	–:आदेशः–	अभियुक्ति

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार निम्न भूमि पर तनाव व्याप्त है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर शांति व्यवस्था, विधि–व्यवस्था बनाये रखने के मद्देनजर धारा–144दं0प्र0सं0 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए पक्षकारों को विवादीत भूमि पर जाने से (02 माह) तक रोक लगाते हुए नोटिस तामिला हेतु भेजा जो साक्ष्य के रूप में संलग्न है।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– करियातपुर, थाना–बरही, जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
13(पुराना) 18(नया)	1532(पुराना) 1661 एवं 1662(नया)	1.13 डी0	उ0– राजकिशोर केशरी द0– नाला पू0– गोविन्द साव वगै0 प0– संतोष प्रसाद केशरी

अभिलेख में दाखिल कारणपृच्छा, दाखिल दस्तावेज एवं विद्वान अधिवक्ताओं के दलील के आधार पर एवं अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि वादगत भूमि पर पूर्व में पक्षकारों के बिच सिविल कोट हजारीबाग से पारटिशन हो चुका है तथा पारटिशन के पश्चात हिस्सेदार अपनी–अपनी भूमि का हिस्सा ब्रिक्रय कर शैष रिक्त भुमि को पक्षकार अपना–अपना बता रहे है जिससे स्पष्ट है कि भूमि विवाद Civil Nature का है। जिसका निवारण दं0प्र0सं0–144 अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है।

अतः उभय पक्षों को शांति व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश के साथ वाद की कार्यवाही बिना किसी बाध्यकारी आदेश के समाप्त की जाती है। उभय पक्ष व्यवहार न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 11:46:48 +05:30
Location: 192.168.1.41